रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 331] नई दिल्ली, रविवार, मई 14, 2000/वैशाख 24, 1922
No. 331] NEW DELHI, SUNDAY, MAY 14, 2000/VAISAKHA 24, 1922

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मई, 2000

का. आ. 463(अ).— लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (जिसे इसमें इसके पश्चात् लिट्टे कहा गया है) एक ऐसा संगम है, जिसका आधार वस्तुतः श्रीलंका में है किन्तु जिससे सहानुभूति रखने वाले, जिसके समर्थक और एजेण्ट भारत की भूमि पर है;

2. और लिट्टे का सभी तमिलों के लिए स्वदेश प्राप्ति का उद्देश्य भारत की संप्रभुता और राज्य क्षेत्रीय अखण्डता को विच्छिन्न करता है और इस प्रकार विधि विरुद्ध क्रियाकलाप की परिधि के अन्तर्गत आता है;

3. और लिट्टे द्वारा सभी तमिलों के लिए एक पृथक स्वदेश (तमिल ईलम) की लगातार जारी उग्रवादी कार्यवाही से भारत की संप्रभुता और राज्य क्षेत्रीय अखण्डता को निरन्तर खतरा बना हुआ है;

4. और कई आपराधिक मामलों, जिनमें लिट्टे और तमिल नेशनल रिट्राइवल ट्रूप्स और तमिलर परसाई जैसे लिट्टे समर्थक ग्रुप भी अन्तर्ग्रस्त है, में सजा हुई है और तमिलनाडु में लिट्टे समर्थक ग्रुपों के

मध्य अभी भी तमिल ईलम की अवधारणा एक उद्देश्य के रूप में विद्यमान है और ये शक्तियां अभी भी अपने उद्देश्य को अग्रसर करने में लगी हुई है, जिसके द्वारा उक्त अत्यधिक संवेदनशील वातावरण तैयार हो रहा है जिसमें लिट्टे को यदि एक विधिपूर्ण संगम के रूप में भारत स्वच्छन्द कार्य करने की अनुमति दी जाती है तो उसका भारत की संप्रभुता और राज्य क्षेत्रीय अखण्डता के लिए अत्यधिक अहितकर होना संभाव्य है;

5• और एल0टी0टी0ई0 अभी भी श्रीलंका में अत्यधिक शक्तिशाली आतंकवादी ताकत है और इस समय यह विश्व में अत्यधिक घातक आतंकवादी संगठन में से एक है, जिसके तमिलनाडु में मजबूत सम्पर्क है;

6• और एल0टी0टी0ई0 एक अत्यन्त शक्तिशाली आतंकवादी आन्दोलन जारी रखे हुए है और जब तक श्रीलंका तमिल ईलम की मांग से अन्तर्द्वन्द में ग्रस्त, जातीय संघर्ष में उलझा रहता है, जिसकी गूंज श्रीलंका के तमिलों और श्रीलंका में भारतीय तमिलों और तमिलनाडु में पृथकतावादी तमिल उग्र समर्थक तत्वों के बीच भाषाई, सांस्कृतिक, जातीय और ऐतिहासिक निकटता के कारण तमिलनाडु में भी सुनाई पड़ती है, तब तक लिट्टे समर्थक ग्रुप तमिलनाडु में लिट्टे के समर्थन आधार को बढ़ाने के लिए अलगाववादी भावनाओं को भड़काने का हमेशा प्रयास करेंगे, जिससे भारत की क्षेत्रीय अखण्डता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है;

7• और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि पूर्वोक्त कारणों से लिट्टे एक विधिविरुद्ध संगम है और ऐसी सभी अलगाववादी गतिविधियों को सभी संभव विधिपूर्ण उपायों द्वारा नियंत्रित करने की अत्यधिक आवश्यकता बनी हुई है;

8• और केन्द्रीय सरकार को यह जानकारी प्राप्त हुई है कि:

§क§ 13•5•98 की रात्रि में चेन्नई सिटी पुलिस ने रत्तन बाजार, चेन्नई सिटी में यानों की चैकिंग के दौरान संदेहास्पद परिस्थितियों में §।§ तमिलरासन उर्फ दयालम§25 वर्ष§, पुत्र षनमुगनाथन, वैयाली, चवकचेरी, जाफना, श्रीलंका और §।।§ अशोक §21 वर्ष§, पुत्र प्रकाशनम, सं0 58 नाडार स्ट्रीट राजापलायम विरुधूनगर जिला, को रोका । पूछताछ में यह पता लगा कि तमिलरासन उर्फ दयालन

एक लिट्टे कार्यकर्ता था और श्रीलंका में लिट्टे के उपयोग के लिए दवाईयां और रसायन आदि प्राप्त करने के लिए चेन्नई आया था तथा राजापलायम का अशोक भी लिट्टे का समर्थक था और तमिलरासन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसने सहायता की थी । उनसे अन्य बातों के साथ साथ, निम्नलिखित सामग्री अभिगृहीत की गई थी:-

I.	सोनी 12 बैण्ड स्टीरियो रिसीवर	1
II.	चालन अनुज्ञप्ति	
III.	15332/-रुपए नकदी	
IV.	कैनन डीजिटल डायरी	
V.	कोड शीट	5 नग
VI.	सेलूलर फोन	1
VII.	काम्पेक्ट डिस्क	40 सं0
	(आडियो सीडी. 15 नग और	
	वीडियो सीडी. 25 नग)	
VIII.	आडियो कैसेट	60 नग
IX.	सोनी कार्डलैस बेल	1 नग

विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 10, 13 (1) और 13(2) के अधीन एक मामला अपराध सं0 2/98 के रूप में चेन्नई सिटी स्थित अपराध अन्वेषण विभाग की 'क्यू' शाखा द्वारा दर्ज किया गया और अब मामला न्यायालय में विचाराधीन है,

(ख) एक लिट्टे कार्यकर्ता, कन्नन उर्फ करुणाकरण उर्फ महेश्वरन विजयकांथ उर्फ अशोक कुमार (28/98) पुत्र महेश्वरन, निवासी जाफना, श्रीलंका और पुडुपट्टिनम, रामनाथपुरम जिले का एक स्थानीय निवासी नागुर उर्फ नागुरन (22/98) पुत्र श्रीनिवासगम विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 10, 13(1) और 13(2), पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 12 के साथ पठित धारा 3 और विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 की धारा 14 के साथ पठित धारा 3 के अधीन अपराध सं0 1/98 त्रिची में अपराध अन्वेषण विभाग की "क्यू" शाखा द्वारा तारीख 28.12.98 को प्रातः 9.00 बजे सेन्ट्रल बस स्टैंड, त्रिचिरापल्ली पर गिरफ्तार किए गए थे और उन दोनों को न्यायिक हिरासत में रिमाण्ड पर केन्द्रीय जेल, त्रिची में रखा गया है ।

एक वाकी-टाकी सेट, एक नोटबुक जिसमें कतिपय विशिष्टियां हैं, 4583/-रु0 नकदी और कन्नन द्वारा उपयोग में लाई गई एक मोटर साइकिल अभिगृहीत की गई थी ।

(ग) किलनोच्ची, श्रीलंका का एक लिट्टे कार्यकर्ता विजयेन्द्र राजा उर्फ विजयन उर्फ महेश (30) पुत्र कनमुगसुन्दरम विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 10 और 13(1) तथा विदेशी विषयक अधिनियम, 1946 की धारा 14 के अधीन अपराध संख्या 1/99 अपराध अन्वेषण विभाग की "क्यू" शाखा द्वारा टी, नगर बस टर्मिनस के नजदीक 17•2•1999 को 1730 बजे गिरफ्तार किया गया था ।

(घ) एक लिट्टे कार्यकर्ता शिवकुमार उर्फ शिवा उर्फ थुवरागन उर्फ परपन (26) पुत्र स्वामीनाथ पिल्लेई और उसका समर्थक प्रभाकरण उर्फ प्रभा (29) पुत्र चिन्नाथम्बी, एमबीसीएस, मुथयनकाडू, पडुक्कियारप्पु, मुल्लाइदीवु, वर्तमान में 63/3, मुथुमरइमन्नाकोइल स्ट्रीट कोटिवक्कम, नीलनकराई पुलिस स्टेशन सीमा में 27•7•99 को तब गिरफ्तार किए गए थे, जब उपरोक्त दोनो व्यक्ति संदेहास्पद अवस्था में घूम रहे थे । अपराध अन्वेषण विभाग चेंगलपट्ट पूर्व "क्यू" शाखा द्वारा एक मामला विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 10 और 13(1) तथा विदेशी विषयक अधिनियम, 1946 की धारा 3 और धारा 14 के अधीन अपराध सं0 2/99 के रूप में दर्ज किया गया था ।

निम्नलिखित दस्तावेज लिट्टे कार्यकर्ता शिवकुमार के कब्जे में थे:-

(1) एक नोटबुक जिसमें संकेतिक भाषा दर्ज थी और टाइमर डिवाइस का एक डाइग्राम बना हुआ है ।

(11) कोड शीट- एक आदि ।

(ङ•) एक लिट्टे कार्यकर्ता आरसन्यागम उर्फ नेलसन उर्फ वेंथन (36) पुत्र अजाकिपोडि, वेल्लावेलि, बट्टीकलोवा जिला, श्रीलंका को 23•8•99 को पल्लावरम में अपराध अन्वेषण विभाग की "क्यू" शाखा द्वारा गिरफ्तार किया गया था । संसूचना के लिए उसके द्वारा प्रयोग किया गया एक सेलफोन, एक सोनी ट्रांजिस्टर और 15 कोड शीट अभिगृहीत की गई थीं । उसकी संस्वीकृति पर जामीन पल्लावरम में

दूसरे लिट्टे कार्यकर्ता इन्द्रन उर्फ थम्बी उर्फ चिरंजीवी के छिपने के स्थान से निम्नलिखित वस्तुएं भी अभिगृहीत की गई थीं:-

1.	आईकोम वायरलैस सेट	1
2.	लीनियर एंटेना ट्यनर	1
3.	मोसर की	2
4.	बैटरी	2
5.	बैटरी चार्जर	1
6.	सैलफोन	2
7.	वीसीडी	1 और अन्य वस्तुएं ।

अनुवर्ती कार्रवाई में आरसन्यागम उर्फ नेलसन उर्फ वेंयन का एक सहयोगी लिट्टे कार्यकर्ता राजीकरन उर्फ मुथुकुमार को भी 23.8.99 को मादी पक्कम में गिरफ्तार किया गया था । उससे भी कुछ कोड शीट अभिगृहीत की गई थीं । इस संबंध में एक मामला चेंगलापट्टू (पूर्व), अपराध अन्वेषण विभाग "क्यू" शाखा द्वारा विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 10, 13(1) और 13(3), बेतार तार यांत्रिकी अधिनियम, 1933 की धारा 6(1) क) के अधीन अपराध सं0 3/99 दर्ज किया गया । इन्द्रन उर्फ चिरंजीवी को ढूंढा जा रहा है ।

(च) विशेष सूचना पर 7.9.99 को 14.00 बजे अपराध अन्वेषण विभाग की त्रिची "क्यू" शाखा द्वारा दो आटोरिक्शा टीएन 45 डी 7452 और टीएमओ 8071 को करुमंडपम, तिरुचि में रोका गया और उसके अधिभोगी एक व्यक्ति, अर्थात् रंगाराजन उर्फ रैंगी (39) पुत्र सोथिलिंगम निवासी वेलवेट्टियुरई, श्रीलंका अब 5, फोर्थ स्ट्रट विनयनगर, करुमंडपम, त्रिची को गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ की । रंगाराजन उर्फ रैंगी की पूछताछ में यह पता लगा कि उसने श्रीलंका के 6 तमिलों (गिरफ्तार) और एक स्थानीय लिट्टे कार्यकर्ता इन्द्रन (फरार) के साथ दवाईयों, ईंधन और अन्य आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त करने और तटीय क्षेत्रों से श्रीलंका में लिट्टे को उनकी तस्करी करने के लिए आपराधिक षडयंत्र किया था । इस संबंध में अपराध अन्वेषण विभाग की त्रिची "क्यू" शाखा में विदेशी विषयक अधिनियम, 1946 की धारा 14 के साथ पठित धारा 3 और विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण)

नियम, 1967 की धारा 10, 13(1) और 13(2) के अधीन अपराध सं0 2/99 दर्ज किया गया।

रंगाराजन उर्फ रैंगी के अतिरिक्त 6 अन्य श्रीलंकाई तमिल अर्थात्, थावराजन उर्फ थाम, गुनारत्नम उर्फ गुनम, विनियागमूर्थि उर्फ मूर्थि, डेविड, श्रीकांथ उर्फ श्री शिवाकरण उर्फ शिवा और एक स्थानीय तमिल चन्द्रशेखरन उर्फ चन्दू गिरफ्तार किए गए थे । निम्नलिखित प्रतिभिद वस्तुएं इस मामले में अभिगृहीत की गई थी:-

1. 10 कार्डबोर्ड बक्से जिनमें 615 सेलाइन बोतलें थीं और एक छोटा बक्सा जिसमें 6 जोड़े दस्ताने और बोतल सेवलोन थी ।

II. अभियुक्त रंगाराजन उर्फ रैंगी के दो आटोरिक्शा टीएमओ 8071 और टीएन 45-डी 7452

III. एक पोर्टेबल जेनरेटर ।

IV. लिट्टे कार्यकर्ता इन्दिरन द्वारा प्रयुक्त 9 कोड शीट ।

V. सुजुकी मोटरसाइकिल केए 05-एल-7841

VI. एक आक्सीजन गैस सिलिण्डर ।

(छ) 14.8.98 को 13.30 बजे एक व्यक्ति अरूणाचलम नाडार (48/98) पुत्र कृष्णसामी नाडार, 2/801, मनोरंजीथम स्ट्रीट, एजिल नगर, अय्यर बंगला, मदुरई को जो श्रीलंका में लिट्टे के उपयोग के लिए आवश्यक वस्तुएं प्राप्त किया करता था, दो कृत्रिम अंगों और सहारे के लिए दो छड़ियां तथा कुछ बिल और उपाप्त किए जाने के लिए वस्तुओं आदि की सूची आदि के साथ गिरफ्तार किया गया था । अ0अ0वि0 मदुरई सिटी "क्यू" शाखा में एक मामला अपराध सं0 1/98 विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 13(1) और 13(2), विदेशी विषयक अधिनियम, 1967 की धारा 3 के साथ पठित धारा 12(क) के अधीन दर्ज किया गया था और उसकी संस्वीकृति पर अपराधी अरूणाचलम नाडार के स्वामित्व की एक लारी एमडीके 2692 और वल्लम (देशीनौका), प्रतिभिद वस्तुएं, अर्थात् बैटरी सेल, पुस्तकें, वीडियो कैसेट, वस्त्र, फिल्म रौल आदि इन जिनकी कीमत 2,50,000/-रु0 होगी के साथ पम्बन समुद्रतट पर अभिगृहीत की गई थीं और लिट्टे क्रियाकारी शेखर उर्फ मनी उर्फ रमन

§34/98§ पुत्र एंथोनीपिल्लई, कांगेसथुराई, श्रीलंका और तीन अन्य लिट्टे कार्यकर्ता एन्टन उर्फ उदयन §24/98§ पुत्र कंडइया, वेलानाई, जाफना, श्रीलंका, चन्द्रकुमार §30/98§ पुत्र मेइलवाहनम, मुरुगुमादाई ।।। यूनिट, किलिनोच्ची, श्रीलंका और मोहनागुरु §27/98§ पुत्र राजकुलासिंगम, जाफना, श्रीलंका गिरफ्तार किए गए थे ।

यह मामला 17•2•2000 को न्यायिक मजिस्ट्रेट II न्यायालय, मदुरई के समक्ष निर्णय के लिए आया, अभियुक्त ए-2 शेखर उर्फ मनी उर्फ रमन §34/98§ पुत्र एंथोनीपिल्लई, ए-3 एन्टन उर्फ उदयन §24/98§ पुत्र कंथइया, ए-4 चन्द्रकुमार §30/98§ पुत्र मेइलवाहनम, ए-5 मोहनागुरु §27/98§ पुत्र राजलिंगम को केन्द्रीय कारागार, मदुरई से प्रस्तुत किया गया । उक्त सभी चार अभियुक्तों को नीचे दिए गए अनुसार सिद्धदोष ठहराया गया :-

§।§ ए-2 शेखर को भारतीय दंड संहिता की धारा 120 §बी§ के अधीन सिद्धदोष ठहराया गया और तीन मास के कठोर कारावास से दंडित किया गया ।

§।।§ ए-3 से ए-5 तक को विधि विरुद्ध क्रियाकलाप §निवारण§ अधिनियम, 1967 की धारा 10 के अधीन दोषसिद्ध पाया गया और प्रत्येक को एक वर्ष के कठोर कारावास तथा 500/-रु0 का जुर्माना के संदाय के लिए दंडित किया गया ।

§।।।§ ए-2 से ए-5 तक को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप §निवारण§ अधिनियम, 1967 की धारा 13§।§ के अधीन दोषसिद्ध पाया गया और प्रत्येक को डेढ़ वर्ष के कठोर कारावास तथा 500/-रु0 का जुर्माना के संदाय के लिए दंडित किया गया ।

§।V§ ए-2 से ए-5 तक को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप §निवारण§ अधिनियम, 1967 की धारा 13§2§ के अधीन दोषसिद्ध पाया गया और प्रत्येक को डेढ वर्ष के कठोर कारावास तथा 500/-रु0 का जुर्माना के संदाय के लिए दंडित किया गया ।

§V§ ए-2 से ए-5 तक को विदेशी विषयक अधिनियम, 1946 की धारा 14 के अधीन दोषसिद्ध पाया गया और प्रत्येक को डेढ़ वर्ष के कठोर कारावास तथा 500/-रु0 का जुर्माना के संदाय के लिए दंडित किया गया ।

§V।§ सभी दण्डादेश साथ साथ चलेंगे ।

§V।।§ ए-1 अरुणाचलम नाडार के विरुद्ध जो मामला है न्यायिक मजिस्ट्रेट-II कोर्ट, मदुरई में सी सी सं0 59/2000 में विभाजित है ।

पूर्वोक्त मामलों के ब्यौरों से यह भली-भांति सुव्यक्त है कि वर्ष 1992 से पाबन्दी होने के बाद भी लिट्टे भारत की सम्प्रभुत्ता और राज्य क्षेत्रीय अखण्डता के प्रतिकूल क्रियाकलापों में बराबर लगा हुआ है । वायरलैस उपस्कर, कोट्टु शीट, टाइमर डिवाइस के सर्किट डाइग्राम वाली नोट बुक का अभिग्रहण और लिट्टे कार्यकर्ताओं की उपस्थिति जो अभी भी व्यापक संख्या में है, राज्य की सुरक्षा के लिए पराकाष्ठा तक गंभीर रूप से खतरा बने हुए हैं । इन सातों मामलों में तमिलनाडु में लिट्टे कार्यकर्ता, अर्थात् तमिलरासन, कन्नन, विजयेन्द्र राजा, आरसन्यागम और राजीकरन की गिरफ्तारी से भी इस बात को और बल मिलता है । यह लिखना भी उल्लेखनीय होगा कि अपराध अन्वेषण विभाग चेन्नई सिटी "क्यू" शाखा का मामला अपराध सं0 1/98 और थंजावूर मैडिकल कालेज हास्पिटल पुलिस स्टेशन अपराध सं0 154/97 की अभी हाल ही में समाप्ति दोषसिद्ध में हुई है ।

9. और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लिट्टे की उपरोक्त गतिविधियां भारत की सम्प्रभुत्ता और अखण्डता के लिए तथा साथ साथ ही लोक व्यवस्था के लिए खतरा बनी हुई हैं और अहितकर है, अतः इसे विधि विरुद्ध संगठन घोषित किया जाए ।

10. और केन्द्रीय सरकार की आगे यह राय है कि (i) भारत की अखण्डता और सम्प्रभुत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लगातार इसके हिंसक और विश्वंसकारी क्रियाकलापों के कारण और (ii) और इसके लगातार भारत के विरुद्ध प्रबल रुख अपनाने और भारतीय राष्ट्रिकों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बने होने के कारण यह आवश्यक है कि लिट्टे को तत्काल प्रभाव से विधि विरुद्ध संगम घोषित किया जाए ।

11. अतः अब केन्द्रीय सरकार, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लिबरेशन टाइगर्स आफ तमिल ईलम को विधि विरुद्ध संगम घोषित करती है और उस धारा की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देती है कि यह अधिसूचना, उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन किए जा सकने वाले किसी आदेश के अधीन रहते हुए राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तत्काल प्रभावी होगी ।

[फा. सं. -I-11034/9/2000-आई.एस.डी.-1 (ए)]

संगीता गैरोला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th May, 2000

S.O. 463(E).— Whereas the Liberation Tigers of Tamil Eelam (hereinafter referred to as LTTE), is an association actually based in Sri Lanka but having sympathisers, supporters and agents on the Indian soil;

2. And whereas the LTTE's objective for a homeland for all Tamils disrupts the sovereignty and territorial integrity of India and thus falls within the ambit of an unlawful activity;

3. And whereas the continuing militant pursuits by the LTTE of the objective of a separate homeland (Tamil Eelam) for all Tamils, threatens the sovereignty and territorial integrity of India;

4. And whereas most of the criminal cases involving the LTTE and Pro-LTTE groups like TNRT (Tamil National Retrival Troops) and Tamiliar Pasarai, have ended in conviction and the Tamil Eelam concept still remains as a goal among the pro-LTTE groups in Tamil Nadu and the forces are still at work to further its cause, thereby contributing to the said highly vulnerable milieu in which LTTE's free functioning in India as a lawful association, if allowed, is likely to be highly detrimental to the sovereignty and territorial integrity of India;

5. And whereas the LTTE continues to be an extremely potent terrorist force in Sri Lanka and is

1370GI/2000 —2

presently one of the deadliest terrorist organisations in the world which has strong connections in Tamil Nadu.

6. And whereas LTTE continues to remain a strong terrorist movement and so long as Sri Lanka continues to remain in a state of ethnic strife, torn by the demand for Tamil Eelam, which finds a strong echo in Tamil Nadu due to the linguistic, cultural, ethnic and historical affinity between the Sri Lankan Tamils and the Indian Tamils in Sri Lanka and the separatist Tamil chauvinist forces in Tamil Nadu, the pro--LTTE groups will always try to stimulate the secessionist sentiments to enhance the support base of the LTTE in Tamil Nadu which will have an adverse influence over the territorial integrity of India;

7. And whereas the Central Government is of the opinion that for the reasons aforesaid, the LTTE is an unlawful association and there is continuing strong need to control all such separatist activities by all possible lawful measures;

8. And whereas the Central Government has information that;

(a) On 13.5.98 night, the Chennai City Police, during vehicular check at Rattan Bazaar, Chennai city, intercepted (1) Tamilarasan @ Dayalan (25 yrs), s/o. Shanmuganathan, Kaithadi, Chavakachery, Jaffna, Sri Lanka and (ii) Ashok (21 yrs), s/o. Prakasam, No. 58 Nadar St, Rajapalayam Virudhunagar district

under suspicious circumstances. Interrogation revealed that Tamilarasan @ Dayalan, was an LTTE cadre and had come to Chennai to procure medicines, chemicals, etc. for the use of LTTE in Sri Lanka and Ashok of Rajapalayam, also a supporter of LTTE, assisted Tamilarasan to procure his needs. The following materials were seized inter alia, from them

i.	Sony 12 Band Stereo Receiver	1
ii.	Driving Licence	
iii.	Cash Rs.15,332/-	
iv.	Canon digital Diary.	
v.	Code sheets	5 Nos.
vi.	Cellular phone	1
vii.	Compact discs (Audio CDs - 15 Nos., and Video CDs.- 25 Nos.	40 Nos.
viii.	Audio cassettes	60 Nos.
ix.	Sony cordless Bell	1 No.

A case in Chennai City 'Q' Branch, CID Cr.No. 2/98 under sections 10, 13 (1) and 13 (2) of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 was registered and the case is now pending trial in court;

(b) An LTTE cadre, Kannan @ Karunakaran @ Maheswaran Vijayakanth @ Sundar @ Ashok Kumar (28/98) s/o Maheswaran of Jaffna, Sri Lanka and a local, Nagoor @ Nagooran (22/98) s/o Srinivasagam of Pudupattinam, Ramanathapuram district, were arrested

at 0900 hrs. on 28.12.98 at the Central Bus Stand, Trichirapalli in Trichy 'Q' Branch CID CR. No. 1/98 under sections 10, 13 (1) and 13(2) of the Unlawful Activities (Prevention) Act 1967, section 3 read with section 12 of the Passports Act, 1967, section 3 read with section 14 of the Foreigners Act, 1946 and both of them were remanded to judicial custody and lodged in Central prison, Trichy.

A walkie-talkie set, a note book containing certain particulars, cash of Rs.4583/- and a motor cycle used by Kannan were seized.

(c) One Vijayendra Raja @ Vijayan @ Mahesh (30), s/o Shanmugasundaram of Kilinochchi, Sri Lanka, an LTTE Cadre, was arrested on 17.2.1999 at 1730 hrs. near T. Nagar bus terminus by 'Q' Branch, CID Cr. No. 1/99 under sections 10 and 13(1) of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 and section 14 of the Foreigners Act, 1946 was registered.

(d) An LTTE cadre Sivakumar @ Siva @Thuvaragan @ Parpan (26) s/o Swaminathapillai and his supporter Prabhakaran @ Prabha (29) s/o Chinnathambi, MBCS, Muthaiankadu, Pudukudiyiruppu, Mullaideeevu presently at 63/3, Muthumariammankoil street, Kottivakkam, Neelankarai PS limits, were arrested on 22.7.99 when the above individuals were moving in a suspicious manner. A case in Chengalpattu East 'Q' Branch CID Cr. No. 2/99 under sections 10 and 13(1) of the

Unlawful Activities (Prevention) Act 1967 , and sections 3 and 14 of the Foreigners Act, 1946, were registered.

The following documents were in possession of LTTE cadre Sivakumar:

i. A note book containing coded language and a diagram of a timer device.

ii. Code-sheet - one etc.

(e) Arasanayagam @ Nelson @ Venthan (36) s/o Azhakipodi, Vellaveli, Batticaloa dist., Sri Lanka, an LTTE cadre was arrested by the 'Q' Branch, CID at Pallavaram on 23.8.99. A cell phone, a Sony Transistor and 15 code sheets used by him for communication were seized. On his confession, the following items were also seized from the hide-out of another LTTE cadre Indiran @ Thambi@ Chiranjeevi at Zamin Pallavaram.

i.	ICOM wireless set	1
ii.	Linear antennae tuner	1
iii.	Morse Key	2
iv.	Battery	2
v.	Battery charger	1
vi.	Cell phones	2
vii.	VCD	1 and other items.

In a follow-up action, another LTTE cadre Rajeekaran @ Muthukumar, an associate of Arasanayagam @ Nelson @ Venthan was also arrested at Madipakkam on

23.8.1999. Some code sheets were also seized from him. In this connection, a case in Chengalpattu (East) 'Q' Branch, CID Cr.No. 3/99 under sections 10, 13(1) and 13(3) of the Unlawful Activities (Prevention) Act,1967, as well as section 6(1-A) of the Wireless Telegraphy Act, 1933, was registered. Look-out is being maintained for Indiran @ Thambi @ Chiranjeevi.

(f) On specific information, on 7.9.1999 at 1400 hrs., the Trichy 'Q' Branch CID intercepted two autorickshaws TN-45-D-7452 and TMO 8071 at Karumandapam, Triuchy and arrested one of the occupants viz. Rengarajan @ Rengi (39) s/o Sothilingam of Velvettithurai, Sri Lanka now at No. 5, Fourth Street, Vinayaganagar, Karumandapam,Trichy, and interrogated him. Interrogation of Rengarajan @ Rengi revealed that he along with the 6 Sri Lankan Tamils (arrested) and a local and an LTTE cadre Indiran (absconding) entered into a criminal conspiracy to procure medicines, fuel and other essentials and to smuggle them to LTTE in Sri Lanka through the coastal areas. In this connection, a case in Trichy 'Q' Branch CID Cr.No. 2/99 under section 3 read with section 14 of the Foreigners Act, 1946 and sections 10, 13 (1) and 13(2) of the Unlawful Activities (Prevention) Act,1967 was registered. Apart from Rengarajan @ Rengi, six other Sri Lankan Tamils viz., Thavarajan @Thavam,

Gunarathinam @ Gunam, Vinayagamoorthy @ Moorthy, David, Sreekanth @ Sree, Sivakaran @ Siva and a local Tamil, Chandrasekaran @ Chandru were arrested. The following contraband were seized in this case:

(i) 10 Card boardboxes containing 615 saline bottles and a smallbox containing 6 pairs of gloves and bottle Savlon.

(ii) Two autorickshaws- TMO 8071 and TN-45 -D.7452 belonging to accused Rengarajan @ Rengi.

(iii) A portable generator.

(iv) 9 code-sheets used by LTTE cadre Indiran.

(v) Suzuki motor cycle KA.05-L.7841.

(vi) An Oxygen gas cylinder.

(g) On 14.8.98 at 1330 hrs. one Arunachalam Nadar (48/98) s/o Krishnasamy Nadar,2/801, Manoranjitham Street,Ezhil Nagar, Ayyar Bungalow, Madurai, who was in the habit of procuring essential commodities for the use of LTTE in Sri Lanka was arrested with two artificial limbs and two supporting sticks and certain bills and lists of articles to be procured etc. for LTTE. A case in Madurai City 'Q' Branch,CID,Cr.No.1/98 under sections 13(1) and 13(2) of the Unlawful Activities (Prevention) Act,1967, section 12(a) read with section 3 of the Passport Act, 1967 was registered and on his confession one lorry MDK 2692 and Vallam (countryboat) owned by the accused Arunachalam Nadar were seized on Pamban

seashore with the contraband, viz., Battery cells, books, video cassettes, clothes, film rolls, etc. all worth Rs. 2,50,000/- and the LTTE operative Sekar @ Mani @ Raman (34/98) s/o Anthonypillai, Kangesanthurai, Sri Lanka and 3 other LTTE cadres, Anton @ Udayan (24/98) s/o Kandaiah, Velanai, Jaffna, Sri Lanka, Chandrakumar (30/98) s/o Mayilvahanam , Murasumadai III Unit, Kilinochchi, Sri Lanka and Mohanaguru (27/98) s/o Rajakulasingam, Jaffna, Sri Lanka, were arrested.

On 17.2.2000, this case came up for judgement before the J.M. II Court, Madurai. accused A.2 Sekar @ Mani @ Raman (34/98) s/o Anthonipillai, A.3 Anton @ Udayan (24/98) s/o Kanthaiah, A.4 Chandrakumar (30/98) s/o Mayilvahanam, A.5 Mohanaguru (27/98) s/o Rajalingam, were produced from Central Prison,Madurai. All the above 4 accused were convicted as mentioned below:-

(i) A.2 Sekar was convicted and sentenced to undergo RI for 3 months under section 120 (B) IPC.

(ii) A.3 to A.5 were convicted and sentenced to undergo RI for 1 year and to pay a fine of Rs. 500/- each under section 10 of the Unlawful Activities (Prevention) Act,1967.

(iii) A.2 to A.5 were convicted and sentenced to undergo RI for 1.1/2 years and to pay a fine of Rs. 500/- each under section 13(1) of the Unlawful Activities (Prevention) Act,1967.

(iv) A.2 to A.5 were convicted and sentenced to undergo RI for 1.1/2 years and to pay a fine of Rs. 500/- each under section 13(2) of the Unlawful Activities (Prevention) Act,1967.

(v) A.2 to A.5 were convicted and sentenced to undergo RI for 1.1/2 years and to pay a fine of Rs.500/- each under section 14 of the Foreigners Act, 1946.

(vi) All the sentences are to run concurrently.

(vii) The case against A.1 Arunachalam Nadar is split up in CC No. 59/2000 in J.M. II Court, Madurai.

From the details of aforesaid cases, it is quite evident that despite the ban in force from the year 1992, the LTTE on its part continues to indulge in activities prejudicial to the sovereignty and territorial integrity of India. Seizure of wireless equipment, code sheets, a note book containing a circuit diagram of timer device, and the presence of LTTE cadres who are still at large culminates into a grave threat to the security of the State. This aspect is further strengthened by the arrest of the LTTE cadres viz. Tamilarasan, Kannan, Vijayendra Raja, Arasanayagam and Rajeekaran in Tamil Nadu in these seven cases. It may not be out of place to mention that the case in Chennai City "Q" Branch CID, Cr. No. 1/98 and Thanjavur Medical College Hospital P.S. Cr. No. 154/97 ended in conviction recently.

9. And whereas the Central Government is of the opinion that the aforesaid activities of the LTTE

continue to pose threat to and are detrimental to the sovereignty and integrity of India as also public order; and therefore should be declared as an unlawful association;

10. And whereas the Central Government is further of the opinion that (i) because of its continued violent and disruptive activities prejudicial to the integrity and sovereignty of India and because (ii) it continues to adopt a strong anti-India posture and also continues to pose a grave threat to the security of Indian nationals, it is necessary to declare the LTTE as an Unlawful association with immediate effect;

11. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby declares the Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) as an unlaful association and directs, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of that section, that this notification shall, subject to any order that may be made under section 4 of the said Act, have immediate effect from the date of its publication in the Official Gazette.

[No I-11034/9/2000-ISDI (A)]

SANGITA GAIROLA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 2000